न्यायालय मे श्री मान् राजस्वमंडल ग्वालियर म. प्र.

विलोपित विलोपित

संतू पिता चुटदनिया कुम्हार निवासी ग्राम दुलहरा, तहसील मानुपर जिला उमरिया, म. प्र. ।

II/निगरानी/उमरिया/भू.रा/2018/0784.... निगरानीकर्ता

बनाम

लहुरिया बेवा नंदीलाल कुम्हार सा. दुलहरा, तहसील मानुपर जिला उमरिया, म. प्र. ।

.... उत्तरवादी

राजस्व निगरानी

समक्ष प्रकरण अपर कलेक्टर उमरिया

निगरानी विरूद्ध राजस्व प्रकरण क्र. 72 अ (स्व. निगरानी) 15-16 आदेश दिनांक 22.09.16 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 50(1) एम. पी. एल. आर. सी. 1959

277

प्रस्तुत श्री वास्तव अधि० द्वारा आज दि. 1-2-18 प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19-2-18 नियत। 1-2-18 रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानीकर्ता निम्न लिखित निवेदन करता है कि निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा दुलहरा के खसरा नं. 110 के रकवा 18.94 हेक्ट. जो कि म. प्र. शासन राजस्व विभाग जिसमे जंगल किस्म दर्ज है जिसे अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वमेव निगरानी मे प्रकरण लिया गया था तथा उन्मान प्रकरण को गुण दोष के आधार पर खारिज न करते हुए अस्पष्ट एवं अधूरा आदेश पारित करते हुए मामला निर्णीत कर दिया गया है जबकि उक्त आराजी म. प्र. शासन की अमूल आराजी है जो कि 20.70 एकड़ भूमि चरनोई हेतु सुरक्षित थी जिसे अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा (अपर कलेक्टर उमरिया) स्वमेव निगरानी को वैध ठहराते हुए तहसीलदार के आदेश को उचित व नियमत: व्यवस्थापन होने का लेख किया गया है कि जब कि उक्त आराजी खसरा नं. के संबंध मे माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा 56 स्व. पुन0 आदेश दिनांक 31.07.06 को यह आदेश पारित किया कि उक्त आराजी म. प्र. शासन की आराजी है

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/उमरिया/भू.रा./2018/784 संतू विरूद्ध लहुरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2019 16.01.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर उमरिया के प्रकरण क्रमांक 72अ/स्व.निग./2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22-09-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 01-02-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

16.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य